(ख) ऐसे एकक के पंजीकरण प्रमाणपत्र में निम्नलिखित को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा:-

(i) इसके संचालन का क्षेत्र जो कि किसी भी स्थिति में इसके जिले के परे नहीं होगा जिसमें यह पंजीकृत हुआ है।

(ii) संस्थापित की गई सुवाह्या मशीनों और वाहन में प्रयोग की जा रही मशीनों की संख्या।

(iii) सुवाह्या मशीन का निर्माण वर्ष एवं मॉडल संख्या।

(iv) वाहन की पंजीकरण संख्या।

(v) सचल चिकित्सीय एकक के लिए सेवा प्रदानकर्ता का पूरा पता।

2(ख) प्रसव-पूर्व नैदानिक जांच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सुवाह्य उपकरण मोबाइल मेडिकल यूनिट का एक अभिन्न भाग होगा, ऐसे उपकरण का ऐसी इकाई से बाहर किसी भी परिस्थिति में उपयोग नहीं किया जाएगा।

2(ग) वाहन के खराब हो जाने की स्थिति अथवा किसी अन्य कारण जिसकी वजह से मोबाइल यूनिटों को जेनेटिक क्लीनिक की तरह उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, तब उपयुक्त प्राधिकारी को सात दिनों की अवधि के भीतर सूचित करना होगा।

5. उक्त नियमों के नियम 9 के उप-नियम (1) में "जेनेटिक क्लीनिक" शब्दों को " जेनेटिक क्लीनिक सहित मोबाइल जेनेटिक क्लीनिक" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. उक्त नियमों के नियम 9 के उप-नियम (4) में "जेनेटिक क्लीनिक" शब्दों के लिए " जेनेटिक क्लीनिक सहित मोबाइल जेनेटिक क्लीनिक" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. एन-24026/60/2008]

अनुराधा गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मुख्य सूचना को भारत के राजपत्र में दिनांक 1 जनवरी, 1996 की सा.का.नि. 1(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था तथा दिनांक 14 फरवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 109(अ) के तहत संशोधित किया गया था ।